निबंधन संख्या पी0टी0-40

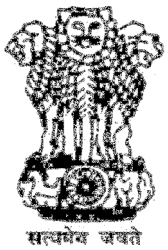

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1933 (श0)

संख्या 33 पटना, बुधवार, ——————

17 अगस्त 2011 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	5-6
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	7-12

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वित्त विभाग

अधिसूचना

4 अगस्त 2011

सं० 1/स्था० (विविध)–20/011–7296––श्री ओम प्रकाश **झा** (वि० वि० से०) वाणिज्य–कर उपायुक्त, प्रभारी मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल जिनकी सेवाएं वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 3037, दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा वित्त विभाग को अगले आदेश तक के निए सौंपी गयी है को अगले आदेश तक के लिए उप–सचिव, वित्त विभाग के पद पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
परशुराम मिश्र, संयुक्त सचिव।

सं० टी0–2/नामां0(आई0एम0सी0)–06/07–1699
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना

संकल्प

11 जुलाई 2011

विषय :– महिला औ0 प्र0 संस्थान, पटना में गठित संस्थान प्रबंधन समिति (आई0एम0सी0) में संशोधन के संबंध में।

श्रम संसाधन विभाग के संकल्प संख्या 278, दिनांक 2 मार्च 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए महिला औ0 प्र0 संस्थान, पटना के लिए गठित संस्थान प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत श्रीमती मंजरी चक्रवर्त्ती, प्रो0 (आर्टिटेक्चर विभाग), बिड़ला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विस्तार केंद्र–बी0 भी0 कॉलेज कैम्पस, पटना के स्थान पर श्री एस0 एम0 सहाय, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

शेष सदस्य यथावत् रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ। सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया जाय और सभी संबंधित सदस्यों को इसकी एक प्रति दी जाए ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

सं० टी0–2/नामां0(आई0एम0सी0)–06/07–1700
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना

संकल्प

11 जुलाई 2011

विषय :– औ0 प्र0 संस्थान, मढ़ौरा में गठित संस्थान प्रबंधन समिति (आई0एम0सी0) में संशोधन के संबंध में।

श्रम संसाधन विभाग के संकल्प संख्या 227, दिनांक 2 मार्च 2009 एवं 3825, दिनांक 8 अक्तूबर 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए औ0 प्र0 संस्थान, मढ़ौरा के लिए गठित संस्थान प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के पद पर मनोनीत श्री आर0 एस0 सिंह, उप–महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोरिंग रोड, पटना के स्थानांतरण के कारण उनके स्थान पर श्री आर0 वी0 एस0 कुशवाहा, अपर महाप्रबंधक (ओ0 एण्ड एम0), पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोरिंग रोड, पटना को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है।

शेष सदस्य यथावत् रहेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ। सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया जाय और सभी संबंधित सदस्यों को इसकी एक प्रति दी जाए ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं
28 जुलाई 2011

सं० 01 / स्था / न0नि0–18 / 09–4183 / न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–41 के अध्यधीन श्री अनिल कुमार शर्मा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर, जिला–भोजपुर (आरा) को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर, जिला–भोजपुर (आरा) के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव।

---

29 जुलाई 2011

सं० 01 स्था / न0नि0–22 / 2011–4238–न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–41 के अध्यधीन श्री राम किशोर मिश्र, अपर समाहर्त्ता भू–हदबंदी, कटिहार, जिला–कटिहार को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी कटिहार, नगर निगम कटिहार, जिला–कटिहार के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव।

गृह विभाग
(अभियोजन निदेशालय)

अधिसूचनाएं
28 जुलाई 2011

सं0 अ0नि0(01)28 / 2011 / स्था0–523—श्री धर्मेश कुमार, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, जमुई को उनके अनुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

---

29 जुलाई 2011

सं० 07 / सी–2–207 / 98 / 527—सहायक लोक अभियोजक संवर्ग (सम्प्रति–बिहार अभियोजन सेवा के रूप में नामित) के श्री राजेन्द्र मिश्र, सहायक लोक अभियोजक (सेवानिवृत्त) को दिनांक 1 अप्रील 1992 के प्रभाव से कनीय प्रवर कोटि सहायक लोक अभियोजक के वेतनमान रु0 2400–4150 में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचना
10 जून 2011

सं०1 / राज॰स्था॰(2॰) प्रो॰–11 / 2008–सह॰–2684—दिनांक 11 मई 2011 को सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में श्री सूर्यदेव मेहता (255 / 38) उप–निबंधक, सहयोग समितियाँ जो सम्प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के कार्यकारी प्रभार में हैं, को संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के

वेतनमान रु० 15600–39100 (पी०बी०–3) + ग्रेड–पे 7600 (पुनरीक्षित) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव ।

पत्रांक 01 / रा०स्था०बि०स०से०–12 / 2005–3069

सहकारिता विभाग

प्रेषक,

ललन राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–उप–सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

दिनांक 5 जुलाई 2011

विषय : श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी –सह– सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सुपौल का दिनांक 25 नवम्बर 2010 से 20 फरवरी 2011 तक के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री कुमार शांत रक्षित, बि०स०से० (प्रशासनिक प्रभाग) आप्त सचिव, तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण एवं वन विभाग ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के हटने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–3 / सी०एम० / एम०–9023–711, दिनांक 21 मई 2010 में निहित आदेश के अनुपालन में दिनांक 25. नवम्बर 2010 के अपराह्न से स्वतः प्रभार त्याग किये जाने के फलस्वरूप उसी तिथि के अपराह्न में सहकारिता विभाग (मुख्यालय) बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया। दिनांक 25 नवम्बर 2010 के अपराह्न में विभाग में योगदान समर्पित करने के पश्चात् श्री रक्षित पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। विभागीय अधिसूचना सं० 388, दिनांक 28 जनवरी 2011 द्वारा श्री रक्षित को जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह– सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया गया। श्री रक्षित दिनांक 24 जनवरी 2011 से 20 फरवरी 2011 तक उपार्जित अवकाश में रहने के पश्चात दिनांक 21 फरवरी 2011 के पूर्वाह्न में अधिसूचित स्थान पर प्रभार ग्रहण किये।

इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री रक्षित दिनांक 25 नवम्बर 2010 से 28 जनवरी 2011 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें इनका कोई दोष नहीं है।

अतः श्री रक्षित का दिनांक 25 जनवरी 2010 से 20 फरवरी 2011 तक के प्रभार रहित अवधि का निम्न रूप से विनियमित किया जाता है।

(i) दिनांक 25 नवम्बर 2010 से 23 जनवरी 2011 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में।

(ii) दिनांक 24 जनवरी 2011 से 20 फरवरी 2011 तक देय उपार्जित अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ललन राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह– उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 22–571+**500**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

Bihar State Shia Wakf Board

Notification

The 5th January 2011

No. 168/Patna/05-W.B.-53—The Board in its meeting dated 22nd November 2010 vide Resolution No. 20(1) considered the enquiry report of Board`s Inspector in the matter of Fazal Imam Public Charitable & Religious Trust, Board`s registration No. 168/Patna situated at Fraser Road, Patna-1 and the Board is of the opinion that continuation of Mr. Faiz Murtaza Ali as Mutawalli of Fazal Imam Public Charitable & Religious Trust is in no way in the interest of the Wakf.

Hence Board unanimously resolved to remove the Mutawalli with immediate effect and to place the Estate under direct management of the Board.

Therefore, Mr. Faiz Murtaza Ali is removed from Mutawalliship of Fazal Imam Public Charitable & Religious Trust, Patna with immediate effect and the said wakf Estate is taken under direct management of the Board accordingly.

Sd/-Illegible
C.E.O

Corrigendum

The 1st March 2011

No. 168/Patna/260—In the office Notification dated 4th January 2011 the following correction may be read as " The Board in its meeting dated 22nd December 2010" in Place of " The Board in its meeting dated 22nd November 2010"

To this extent the said notification stands corrected.

Sd/-Illegible
C.E.O

वि0(27)पे0को0–81/2008–1685/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

19 जुलाई 2011

विषयः– **माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 15951/2004 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 15942/2004 एवं एल0पी0ए0 सं0 721/08 एवं 738/08 में पारित न्यायादेश के आलोक में श्री ठाकुर प्रसाद सिहं एवं श्री व्यास शर्मा (दिनांक 31 जनवरी 1986 को सेवा निवृत्त) के निर्धारित पेंशन में उत्पन्न विसंगति को दूर करने के संबंध में।**

श्री ठाकुर प्रसाद सिंह एवं श्री व्यास शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 15951/2004 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 15942/2004 दायर किया गया, इन रिट याचिकाओं में दिनांक 25 अप्रील 2008 को सरकार के विरुद्ध आदेश पारित किया गया, कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11557 एवं 11558 दिनांक 22 दिसम्बर 1999 के द्वारा सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के पेंशन निर्धारण संबंधी निर्गत निदेश के आलोक में उनका पुनरीक्षित समेकित पेंशन दिनांक 1 जनवरी 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों की तुलना में कम हो जाती है। उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा

एल0पी0ए0 संख्या 721/08 एवं 738/08 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 9 अक्तूबर 2009 एवं 29 अक्तूबर 2009 को आदेश पारित करते हुए उपरोक्त सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 15951/2004 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 15942/2004 में पारित आदेश को संशोधित करते हुए यह निदेश दिया गया कि दिनांक 31 दिसम्बर 1985 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मी के पेंशन से रिट याचिकाकर्त्ता श्री ठाकुर प्रसाद सिंह एवं श्री व्यास शर्मा (दिनांक 31 जनवरी 1986 को सेवानिवृत्त) की पेंशन समान वेतन एवं समान सेवा अवधि होने की स्थिति में उनसे कम स्वीकृत नहीं किया जाए।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 721/08 एवं 738/08 में दिनांक 9 अक्तूबर 2009 एवं 29 अक्तूबर 2009 को पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा श्री ठाकुर प्रसाद सिंह एवं श्री व्यास शर्मा (सेवा निवृत की तिथि 31 जनवरी 1986) को समान पद, समान अंतिम वेतन, समान सेवा अवधि वाले दिनांक 31 दिसम्बर 1985 के पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को प्राप्त पेंशन के समतुल्य मासिक पेंशन निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त पेंशन निर्धारण/समेकन का लाभ दिनांक 1 अप्रील 1997 से देय होगा।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र की अगामी अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 22—571+**50**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई 2011

सं० 3/आ02–51/2009–823––श्री राधे प्रसाद, तत्कालीन जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) सम्प्रति उप–निदेशक (मध्याहन भोजन योजना), मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वीचम्पारण (मोतिहारी) के पद पर पदस्थापन काल में विशेष शिक्षा सेवियों का प्रशिक्षण सत्र दिनांक 02. फरवरी 2000 से प्रारंभ नहीं कर दिनांक 27 जनवरी 2002 से प्रारंभ करने, स्वेच्छा से प्रशिक्षुओं की उपस्थिति दर्ज करने, निदेशक, जन शिक्षा बिहार, पटना के पत्रांक 2, दिनांक 3 जनवरी 2000 के विरुद्ध कार्य करने, प्रशिक्षण केन्द्र के बाहरी व्यक्ति को सह–व्यवस्थापक नियुक्त करने, प्रशिक्षण केन्द्रों के बैंक खाता का संधारण, सह–व्यवस्थापक एवं केन्द्र व्यवस्थापक के संयुक्त हस्ताक्षर से नहीं करने, प्रमाणकों पर केन्द्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर के बदले स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित करने के आरोपों को प्रथम दृश्टया प्रमाणित पाये जाने पर विभागीय संकल्प संख्या 396, दिनांक 4 मई 2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णायानुसार श्री प्रसाद पर चल रहे विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

3. श्री राधे प्रसाद तत्कालीन जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) सम्प्रति उप निदेशक, मध्याहन भोजन योजना, बिहार, पटना को आरोप वर्ष 2000 के लिए ''निन्दन'' की सजा दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

22 जून 2011

सं० निग/सारा–9 (एन0एच0)–07/2011–7171 (एस)––श्री बैरिस्टर राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल संख्या–2, बिहारशरीफ सम्प्रति निलंबित, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल संख्या–2, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल में माननीय मुख्य मंत्री के नालंदा जिले के कार्यक्रम में कार्यपालक अभियंता के निर्देश का अनुपालन नहीं करने, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को मोबाईल पर गलत सूचना देते हुए भ्रमित करने के प्रयास जैसे अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के लिए अधिसूचना संख्या 1066 (एस) दिनांक 28 जनवरी 2011 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 1317 (एस) अनु0, दिनांक 3 फरवरी 2011 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। श्री राम के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध गठित आरोपों को यद्यपि प्रमाणित नही माना गया, परन्तु विभागीय समीक्षोपरांत यह

पाया गया कि इन्होंने दूरभाष पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को गलत सूचना दी तथा उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया। उक्त असहमति के विन्दुओं को अंकित करते हुए श्री राम से विभागीय पत्रांक 5954 (एस) अनु0, दिनांक 24 मई 2011 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

2. श्री राम ने अपने पत्रांक शून्य (अनु0), दिनांक 27 मई 2011 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री राम द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2011 को सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दूरभाष पर गलत सूचना दी गयी तथा उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राम, सहायक अभियंता को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न निर्णय लिया जाता है :–

(i) ये भविष्य में कार्य के प्रति सतर्क रहेंगे।

(ii) इनकी एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।

(iii) इनके निलंबन अवधि का विनियमन इनसे कारण–पृच्छा प्राप्त कर किया जायेगा।

निलंबन मुक्ति के पश्चात् श्री राम, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में योगदान देंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

28 जुलाई 2011

सं0 निग/सारा–रा0उ0प0 (द0बि0)–19/2011–8564 (एस)—श्री लक्ष्मी नारायण पासवान, अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी–ऑन–सोन द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी–ऑन–सोन के पदस्थापन काल में श्री नारायण कुमार भारती, तत्कालीन सहायक अभियंता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी–ऑन–सोन सम्प्रति निलंबित के अनाधिकृत रूप से बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के निर्माण कार्य के अवैतनिक निरीक्षण के लिए प्राधिकृत होकर प्रभार ग्रहण करने के उपरांत कार्य करने की सूचना मुख्यालय को ससमय नहीं देने तथा इस संबंध में सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पृच्छा करने पर श्री भारती को बचाने का प्रयास करने के लिए विभागीय पत्रांक 4021 (एस), दिनांक 5 अप्रील 2011 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री पासवान, अधीक्षण अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 11 अप्रील 2011 के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि इनका अपने अधीनस्थ कार्यालय के कार्य–कलापों एवं पदाधिकारियों पर नियंत्रण का अभाव है तथा इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से श्री भारती, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति निलंबित को बचाने का प्रयास किया गया है।

3. अतएव सरकार के निर्णयानुसार इन्हें चेतावनी की सजा दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, विशेष सचिव (निगरानी)।

---

6 जुलाई 2011

सं0 निग/सारा–3–10/03–7658—श्री मधुसूदन साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, तकनीकी कोषांग, सहकारिता विभाग सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया द्वारा तकनीकी कोषांग, सहकारिता विभाग के पदस्थापन काल में बांका व्यापार मंडल सहयोग समिति के चावल मिल पुनर्वास कार्य में रू 1.88 लाख से नये जेनरेटर, ब्यालर एवं डीजल न खरीद कर उक्त राशि का उपयोग ठेकेदार को अग्रिम दिये जाने, इस प्रकार राशि का विचलन करने तथा पूर्व में कराये गये कार्य के घटिया स्तर के पाये जाने जिसके लिए ठेकेदार को रु0 4.00 लाख का अग्रिम दिया जा चुका था जिसके विरुद्ध मात्र रू0 1.34 लाख का काम हुआ था, पुनः रू0 1.88 लाख का अग्रिम देने जैसे आरोप के लिए सहकारिता विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 7093 (एस) अनु0, दिनांक 17 अगस्त 1999 द्वारा इनसे कारण पृच्छा की गई । श्री साह से प्राप्त कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 24 मार्च 2000 के समीक्षोपरान्त इसे असंतोषप्रद पाते हुये विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10107 (एस), दिनांक 29 अगस्त 2006 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 144 अनु, दिनांक 19 अप्रील 2007 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में यद्यपि आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया तथापि विभागीय समीक्षा में पाया गया की रु0 1.88 लाख का बैंक ड्राफ्ट श्री साह ने प्राप्त किया था, ऐसी स्थिति में राशि की विचलन के आरोप से इन्हे मुक्त नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार विभागीय पत्रांक 4195 (एस)अनु0, दिनांक 30 अप्रील 2009 द्वारा सहकारिता विभाग से रू0 1.88 लाख का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किये जाने संबंधी सूचना/कागजात मंतव्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3. इस बीच श्री साह द्वारा विभागीय कार्यवाही के निष्पादन हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 13543/10 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 30 अगस्त 2010 के पारित न्यायादेश द्वारा 6 (छः) माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करने का निदेश प्राप्त हुआ।

4. इस आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय पत्रांक 9254 (एस), दिनांक 25 अगस्त 2009 एवं पत्रांक 15381 (एस)अनु0, दिनांक 23 दिसम्बर 2009 द्वारा स्मारित भी किया गया। श्री साह के वकील द्वारा समर्पित लीगल नोटिस दिनांक

5 मई 2010 के उपरान्त पुनः विभागीय पत्रांक 7485 (एस), दिनांक 20 मई 2010, अर्द्ध सरकारी पत्र सं0 13786 (एस), दिनांक 17 सितम्बर 2010 एवं अर्द्ध सरकारी पत्र सं0 14097 (एस) अनु0, दिनांक 27 सितम्बर 2010 द्वारा सहकारिता विभाग को स्मारित भी किया गया।

5. सहकारिता विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 4123, दिनांक 24 सितम्बर 2010 द्वारा सूचित किया गया कि रू0 1.88 लाख का फर्म के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर श्री मधुसूदन साह को उपलब्ध कराया गया। सहकारिता विभाग के इस पत्र के समीक्षोपरान्त प्रस्तुत मामले के निपटारे के लिए सचिव स्तर पर दिनांक 26 अक्तूबर 2010 को श्री साह की व्यक्तिगत सुनवाई की गई। सुनवाई के पश्चात् सहकारिता विभाग के अर्द्धसरकारी पत्र सं0 4123, दिनांक 24 सितम्बर 2010 की अनुलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 14932 (एस), दिनांक 26 अक्तूबर 2010 द्वारा श्री साह को बचाव–वयान समर्पित करने का निदेश दिया गया।

6. श्री साह, सहायक अभियंता से प्राप्त बचाव–वयान दिनांक 2. नवम्बर 2010 के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 16825 (एस)अनु0, दिनांक 16 दिसम्बर 2010 द्वारा रु0 1.88 लाख का बैंक ड्राफ्ट श्री मधुसूदन साह द्वारा प्राप्त किया गया था अथवा नहीं के बिन्दु पर सहकारिता विभाग से प्रतिवेदन की मांग की गई तथा विभागीय पत्रांक 1793 (एस), दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा स्मारित भी किया गया। सहकारिता विभाग के पत्रांक 614, दिनांक 11 फरवरी 2011 द्वारा शाखा प्रबंधक, दी भागलपुर, सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पत्रांक 459, दिनांक 19 जनवरी 2011 द्वारा यह प्रतिवेदित किया की रू0 1.88 लाख का बैंक ड्राफ्ट तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा संस्था द्वारा नामित व्यक्ति को हस्तगत कराया गया। विभागीय पत्रांक 3163, दिनांक 15 मार्च 2011 के पत्र द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में सहकारिता विभाग के पत्रांक 1844, दिनांक 19 अप्रील 2011 के साथ संलग्न दी भागलपुर, सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पत्रांक 11, दिनांक 6 अप्रील 2011 में यह अंकित किया गया कि तत्कालीन सहायक प्रबंधक, बांका द्वारा रू0 1.88 लाख का बैंक ड्राफ्ट श्री मधुसूदन साह द्वारा नामित व्यक्ति को दिनांक 18 मार्च 1988 को हस्तगत कराया गया है।

7. पूरे प्रकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि यद्यपि यह पूर्ण रूपेण स्थापित नहीं होता है की रू0 1.88 लाख का बैंक ड्राफ्ट श्री मधुसूदन साह द्वारा प्राप्त किया गया है, परन्तु इस मामले में राशि के विचलन के दायित्व से इन्हे मुक्त नहीं किया जा सकता है । श्री साह द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को वस्तु स्थिति की सूचना ससमय दिया जाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। इस हद तक सरकारी राशि के विचलन के लिए श्री साह दोषी हैं।

8. अतएव सरकार के निर्णयानुसार इन्हें चेतावनी की सजा दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

27 जुलाई 2011

सं0 निग/सारा–8–आरोप–उ0बि0 (ग्रा0)–42/08–8558 (एस)—श्री राज नारायण चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, रूपांकन–सह–यॉंत्रिक अंचल, गंगापुल परियोजना अंचल, पटना द्वारा कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के पदस्थापन काल में सरकारी कार्य के संपादन में निष्क्रियता एवं लापरवाही बरतने, कार्यों में रूचि नहीं लेने, सरकारी निदेशों का उल्लंघन करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 5034 (एस), दिनांक 9 अप्रील 2008 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 769 (एस) अनु0, दिनांक 15 जनवरी 2010 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री राज नारायण चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा निलंबन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 13983/09 में दिनांक 5 नवम्बर 2009 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 2753 (एस), दिनांक 25 फरवरी 2010 द्वारा इन्हें आदेश की तिथि 5 नवम्बर 2009 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

3. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 51, दिनांक 29 अप्रील 2011 द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध गठित आरोप संख्या–1 (ग), 2 एवं 4 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने के आलोक में इनसे उक्त जॉंच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 6349 (एस) अनु0, दिनांक 1 जून 2011 द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा तथा निलंबन की अवधि दिनांक 9 अप्रील 2008 से 4 नवम्बर 2009 तक के विनियमन के संबंध में कारण पृच्छा की मांग की गयी।

4. श्री राज नारायण चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 14 जून 2011 के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री चौधरी द्वारा ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया जिसके आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा सुविचारित प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित आरोपों को क्षान्त किया जा सके तथा इनके निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान दिया जा सके।

5. अतएव सरकार के निर्णयानुसार इन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन

(ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक

(iii) निलंबन अवधि दिनांक 9 अप्रील 2008 से 4 नवम्बर 2009 तक के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान होगा किन्तु अन्य प्रयोजनार्थ इसे कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, विशेष सचिव (निगरानी)।

---

26 जुलाई 2011

सं० निग/सारा–ग्रा0वि0वि0उ0वि0–05/09–8481 (एस)—श्री राम विलास राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, बेगूसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, सारण, छपरा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, बेगूसराय के पदस्थापन काल में बछवारा–समसा पथ के 2 रे कि0मी0 में मरम्मति एवं कालीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग के जाँच प्रतिवेदन बेगूसराय जाँच (ग्रा0वि0)–74/03 के आधार पर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा इनके विरूद्ध आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। साथ ही, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी इन्हें स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्री राम के स्प्ष्टीकरण ज्ञापांक 06 दिनांक 12 जनवरी 2008 के समीक्षोपरांत प्राक्कलन के अनुसार प्रिमिक्सिंग नहीं कराये जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया तथा तद्नुसार ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 14079, दिनांक 21 अक्तूबर 2008 द्वारा श्री राम के विरूद्ध निगरानी विभाग के अनुशंसा के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध पथ निर्माण विभाग से किया गया।

2. ग्रामीण विकास विभाग की अनुशंसा के आलोक में श्री राम, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 5796 (एस) अनु0, दिनांक 3 जून 2009 द्वारा बचाव वयान समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री राम के पत्रांक 31, दिनांक 11 जून 2009 द्वारा समर्पित बचाव वयान के समीक्षोपरांत विभागीय तकनीकी पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त किया गया। तकनीकी पदाधिकारी का मंतव्य था कि प्रासंगिक पथ के 2 रे कि0मी0 के दूसरे 1/2 कि0मी0 में प्रिमिक्स कारपेटिंग की मुटाई प्रावधान के अनुसार नहीं पाया जाना प्रमाणित होता है।

3. श्री राम के बचाव वयान पर तकनीकी पदाधिकारी के मंतव्य के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9884 (एस), दिनांक 8 सितम्बर 2009 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1513 अनु0, दिनांक 19 जुलाई 2010 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में भी प्रासंगिक पथ के 2 रे कि0मी0 के दूसरे 1/2 कि0मी0 में प्रिमिक्स कारपेट कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किये जाने को प्रमाणित पाया गया तथा तद्नुसार अंशतः प्रमाणित आरोप के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 12328 (एस) अनु0, दिनांक 17 अगस्त 2010 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

5. श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर दिनांक–24.09.10 के समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रासंगिक पथ के 2 रे कि0मी0 के दूसरे 1/2 कि0मी0 में प्रिमिक्स कारपेटिंग की मुटाई दो वर्षों में 20 एम0एम0 से 10 एम0एम0 नहीं हो जाएगी। इस आधार पर सरकार द्वारा इन्हें निन्दन के साथ इनकी दो वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया।

6. श्री राम, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध अनुमोदित प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 854 (एस) अनु0, दिनांक 21 जनवरी 2011 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 892, दिनांक 27 जून 2011 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

7. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री राम विलास राम, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति कार्यपालक अभियंता को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन

(ii) दो वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

27 जुलाई 2011

सं0 निग/सारा–आरोप–84/09–8524 (एस)––श्री सरफराज खाँ, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल दरभंगा, सम्प्रति निलंबित, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय को पथ प्रमंडल दरभंगा के पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता के लिए पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 12533 (एस)–सह –पठित ज्ञापांक 12534 (एस), दिनांक 9 नवम्बर 2009 द्वारा निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' पर विभागीय पत्रांक 13347 (एस) डब्लू0ई0, दिनांक 19 नवम्बर 2009 द्वारा इनसे बचाव वयान की मांग की गई। श्री खाँ द्वारा समर्पित बचाव वयान दिनांक 8 मार्च 2010 के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7686 (एस) डब्लू ई0, दिनांक 24 मई 2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 741 अनु0, दिनांक 29 सितम्बर 2010 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध तीनों ही आरोपों को प्रमाणित पाया गया। तद्आलोक में विभागीय पत्रांक 14677 (एस) डब्लू0 ई0, दिनांक 19 अक्तूबर 2010 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

3. श्री खाँ, सहायक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 27 अक्तूबर 2010 के समीक्षोपरांत पाया गया कि मौखिक आदेश एवं गलत मंशा से किये गये कार्यों का; after thought बहाना बनाकर औचित्यपूर्ण बताने का प्रयास किया गया है।

4. अतएव पूरे प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरांत एवं सरकार के निर्णयानुसार श्री सरफराज खाँ, सहायक अभियंता को विभागीय अधिसूचना संख्या 16830 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक 16831 (एस), दिनांक 16 दिसम्बर 2010 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न निर्णय लिया गया :–

(i) इन्हें आरोप वर्ष 2004–2005 के लिए निन्दन की सजा दी गयी।

(ii) इनकी एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी गई।

(iii) निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में संगत प्रावधानों के अनुसार इनसे कारण पृच्छा कर निर्णय लिया गया।

(iv) निलंबन से मुक्ति के उपरांत श्री खाँ, सहायक अभियंता अपना योगदान अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यालय में समर्पित करेंगे।

5. विभागीय पत्रांक 16832 (एस), दिनांक 16 दिसम्बर 2010 द्वारा श्री खाँ, सहायक अभियंता से इनके निलंबन अवधि के विनियमन हेतु कारण पृच्छा मांगी गई। श्री खाँ द्वारा समर्पित कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के सम्यक् समीक्षोपरांत एवं सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 2753 (एस), दिनांक 8 मार्च 2011 द्वारा इनके निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने, किंतु इस अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि माने जाने का आदेश निर्गत किया गया।

6. श्री खाँ, सहायक अभियंता द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 2753 (एस), दिनांक 8 मार्च 2011 द्वारा निर्गत आदेश पर पुनर्विचार हेतु समर्पित आवेदन दिनांक 18 अप्रील 2011 के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया है जो उनके विरूद्ध सुविचारित शास्ति को क्षान्त करता हो। अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री खाँ, सहायक अभियंता के पुनर्विचार आवेदन दिनांक 18 अप्रील 2011 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

13 जुलाई 2011

सं0 निग/सारा–2 (ग्रा0)–10/2002–7989 (एस)––श्री सुभाष चन्द्र दास, सहायक अभियंता से उनके राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, पटना से जालसाजी एवं धोखाधड़ी कर 2.45 करोड़ का ऋण प्राप्त करने एवं इसके निमित्त एकरारनामा करने, आर0पी0 टावर एवं चित्रकूट अपार्टमेंट के लिए क्रमशः रु० 60,00,000 तथा रु० 35,00,000 रूपये का ऋण प्राप्त करके भू–स्वामी का जाली हस्ताक्षर करने, रंगकर्मी सहकारिता गृह निर्माण समिति को अवक्रमित करने के पश्चात उक्त समिति के सचिव की हैसियत से प्रशासक, बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, पटना से पत्राचार करने सहित उनके द्वारा समर्पित चेक के अनादर होने के आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 419 (एस) अनु0, दिनांक 17 जनवरी 2003 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई तथा इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 18 फरवरी 2003 के समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण से असहमत होने के उपरांत आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5473 (एस) अनु0, दिनांक 7 जुलाई 2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री दास, सहायक अभियंता के विरुद्ध बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड द्वारा दर्ज प्राथमिकी दिनांक 24 दिसम्बर 2002 एवं 6 जनवरी 2003 तथा आरोपों की गंभीरता की पृष्ठभूमि में इन्हें अधिसूचना संख्या 1538 (एस), दिनांक 23 फरवरी 2004 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 2770 (अनु0), दिनांक 29 अगस्त 2006 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। साथ ही जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत यह स्थापित हुआ कि इनके द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई है तथा इनके द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी एक ऐसी संस्था के साथ की गई है जिसमें सरकार का अंशदान है। अतएव बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के प्रतिवेदन के आलोक में पुनः अनुपूरक आरोप गठित करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश विभागीय संकल्प ज्ञापांक 606 (एस), दिनांक 16 जनवरी 2007 द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी ने पुनः आरोपित पदाधिकारी को पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 20 फरवरी 2009 को जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया जिसमें इनके विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

5. प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन की प्रति के साथ विभागीय पत्रांक 7954 (एस) अनु0, दिनांक 20 जुलाई 2009 द्वारा श्री दास निलंबित सहायक अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा तथा विभागीय पत्रांक 9685 (एस), दिनांक 3 सितम्बर 2009 द्वारा इनके निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान के लिए भी द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

6. श्री दास, निलंबित सहायक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 4 अगस्त 2009 एवं दिनांक 18 सितम्बर 2009 एवं इनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 7 दिसम्बर 2009 के सम्यक् समीक्षोपरांत इनके सरकारी सेवा में रहते हुए इनके द्वारा गंभीर कदाचार, धोखाधड़ी एवं जालसाजी जाँच में प्रमाणित पाये जाने के कारण सरकार के निर्णयानुसार इन्हें सेवा से बरर्खास्त करने एवं इनके निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देने के अनुमोदित दंड पर विभागीय पत्रांक 6952 (एस) अनु0, दिनांक 12 मई 2010 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2240, दिनांक 2 दिसम्बर 2010 द्वारा विभागीय दण्ड के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

7. तदोपरांत श्री दास, सहायक अभियंता, सम्प्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी। अतएव श्री सुभाष चन्द्र दास, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित को उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(क) तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त।

(ख) निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 22–571+**100**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in